फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
1 बबी देवी पत्नी श्री वजाराम पुत्री पुनीया जाति सुथार निवासी कलबीवास बग तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 151/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.06.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री नगेन्द्र मेड़तिया व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/452 दिनांक 12.06.2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व ग्राम काकेन्द्रा की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 89 में खसरा संख्या 115, 342 कीता 02 रकबा कुल 2.55 हेक्टेयर में नवी पुत्री पुनीया हिस्सा 1/12 जाति सुथार सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व जमाबंदी में नवी पुत्री पुनिया दर्ज है। नवी पुत्री पुनीया बाबत ग्राम काकेन्द्र में जानकारी ली। ग्रामवासियों ने बताया कि नवी नाम की पुनीया सुथार के कोई पुत्री नहीं है। नवी पुनीया ही बबीदेवी पुत्री पुनीया है। बबीदेवी शादीशुदा है और ग्राम बग में अपने ससुराल में रहती है। बबीदेवी के पति का नाम वजाराम है। बबीदेवी को उक्त वर्णित आराजी में हिस्सा अपने पिता की मृत्यु के बाद उतराधिकार में प्राप्त हुआ है। प्रार्थीया के भाई ने बताया कि सही नाम बबीदेवी है। अतः नाम सही कर नवी की जगह बबीदेवी किया जावे। प्रार्थीया ने हाजिर होकर पहचान के दस्तावेज फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति पेश की जिसमें नाम बबीदेवी दर्ज है। अतः प्रार्थीया के पहचान दस्तावेज व ग्राम काकेन्द्रा में जांच करने पर नवी की जगह सही नाम बबीदेवी पाये जाने से मौजा काकेन्द्रा पटवार हल्का सनपुर की जमाबंदी खाते में खसरा संख्या 115, 342 कीता 02 रकबा 2.55 हेक्टेयर की आराजी में नवी पुत्र पुनीया हिस्सा 1/12 की जगह बबीदेवी पुत्री पुनीया हिस्सा 1/12 किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***प्रार्थी का नाम नवी पुत्री पुनीया के स्थान पर बबीदेवी पुत्री पुनीया संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें **लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)** **सिरोही** भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)